न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 101/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1. भारू 2.गंगा 3.गेमरा पि.जुंझाराम 4.लूणा 5.सांगा 6.भूरा पि.मालाराम, जाति मेगवाल,
निवासी सुरते का तला, शिवपुरा (तारातरा मठ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – श्री बलवंतसिंह चौधरी
विप्रार्थीगण –

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा शिवपुरा, तहसील चौहटन में खसरा सं. 229/146 रकबा 11.6549 हैक्टयर (72.00 बीघा) भूमि में प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। जिस पर प्रार्थीगण का भौतिक रूप से कब्जा काश्त है, ढाणियां , कलारे मवेशी के चाराबाड़े एवं खेत के चारों तरफ चार दीवारी की हुई है। कि 15.10.1955 में राजस्थान में सेटलमेन्ट हुआ उस समय मूल खसरा सं. 146 रकबा 318 बीघा भूमि का माला पुत्र नानगा के नाम पर्चा जारी हुआ था, इस भूमि में से 20.12.2001 को प्रार्थीगण ने खेत खसरा सं. 146 में से रकबा 72.00 बीघा भूमि जरिये पंजीयन बेचान से खरीद की थी, तब से लेकर आज तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से वैध रिकॉर्डेड खातेदार है। इस आधार पर अधीनस्थ कर्मचारियों ने नामान्तरकरण सं. ... दिनांक 26.01.2002 को पारित किया और राजस्व जमाबन्दी व नक्शा में खसरा सं. 146/3 रकबा 72.00 बीघा का जमाबन्दी में अमल दरामद किया जो सही किया , विधि से विप्रार्थी से इस संबंधी कोई आपत्ति प्रार्थीगण द्वारा नहीं चाहा गया है लेकिन नामान्तरकरण के विपरीत नक्शा ट्रेस खसरा सं. 146/3 मौजा शिवपुरा की तरमीम 72.00 बीघा के स्थान पर 48.12 बीघा कर दी जो गलत की गई जिसे प्रार्थी नक्शा ट्रेस में शुद्ध करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136, 128 के अन्तर्गत राजस्व विधि प्रक्रिया से भौतिक कब्जा काश्त राजस्व दस्तावेज के अनुसार खसरा सं. 146 अर्थात 146/3 वर्तमान खसरा सं. 229/116 रकबा 11.6549 हैक्टयर अर्थात 72.00 बीघा की भूमि तरमीम शुद्धिकरण कराने का वैध अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण ने आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम शिवपुरा के खसरा सं. 229/146 (पुराना ख.सं. 146/3) की तरमीम सलंग्न नक्शा में दर्शाये बरंग हरा अनुसार दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा मौजा शिवपुरा के खसरा सं. 229/146 (पुराना ख.सं. 146/3) की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा के बरंग हरा अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Appendix 'B' Form No. 8)

15/2/24

नक्शा किश्तवार मौजा शिवपुरा
तहसील – चौहटन
पैमाना – 1" = 40 गट्ठा
(रा.अ.प्र. 10/23 मारु बगैरा v/s तहसीलदार चौहटन
u/s 31, 136 तरमीम दुरस्ती)

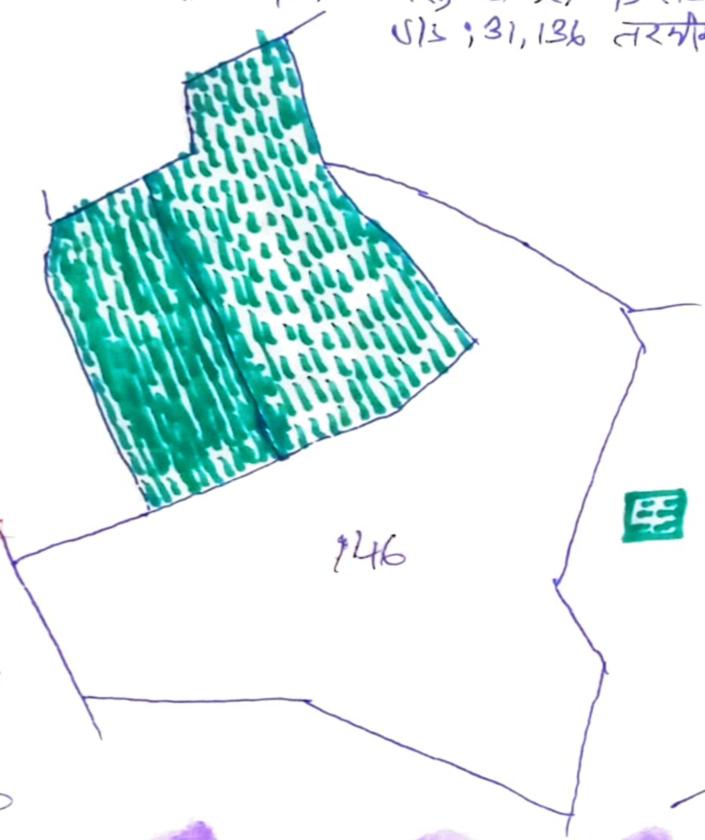

मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प० सवाऊ

ILR तारातरा

बा.नि. (भाखराम/जुंजाराम) बा.नि. (भंगाराम/जुंजाराम) बा.नि. (भैराराम/जुंजाराम) बा.नि. (रूपाराम/मलाराम)

बा.नि. (अराराम/मलाराम) बा.नि. (भागाराम/मलाराम) बा.नि. (चेतनराम/नाथूराम) बा.नि. (मलाराम/जुंजाराम)

नागाराम
(नगाराम/नगताराम उर्फ)

प्रेमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested